



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम लेव, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@nic.in

पत्र सं० : 8वीं/सू०पी०/०४/२९६/२०२२/एफ.सी. 705

दिनांक: 25.11.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

**ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/148929/2021**

विषय: जनपद अमरोहा में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारिषण खण्ड हापुड़ वन में 0.00 हे० संरक्षित वनभूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के०वी० विद्युत पारिषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-2776/81-2-2022-800(244)/2022, लखनऊ, दिनांक-28.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the SOI toposheet the demarcation of the forest areas in the .kml file is undervalued. The canal side (Ganga Canal) Protected Forest area is demarcated as non-forest land, which needs clarification/rectification.
2. The proposed CA land polygon falls under the Hastinapur Wild Life Sanctuary, so comments of Chief Wild Life Warden need to be submitted.
3. Since the forest area proposed for diversion falls within Hastinapur Wild Life Sanctuary, so clearance from Standing Committee National Board of Wild Life is required.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

**प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारिषण खण्ड, अमरोहा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1817 /11सी- FP/UP/TRANS/148929/2021, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 28, 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारिषण खण्ड-अमरोहा, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि०, अमरोहाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया भारत सरकार की आपत्ति के बिन्दु सं०-2 एवं बिन्दु सं०-3 के सम्बन्ध में कमेन्ट्स एवं अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।